

प्रेषक,

रेशमा चौधरी,  
XVIth अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश,  
बरेली।

सेवा में

महानिबंधक,  
माननीय उच्च न्यायालय,  
इलाहाबाद।

द्वारा,

श्रीमान जनपद न्यायाधीश,  
बरेली।

विषय:-

अचल सम्पत्ति के क्रय के सम्बंध में माननीय उच्च न्यायालय के  
परिपत्र संख्या 25/एडमिन (ए) दिनांकित 13 जुलाई 1988 के  
अनुसार सूचना।

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय के उपरोक्त प्रपत्र के विषय में सम्मानपूर्वक  
विवरण निम्न है:-

1. सेवा में नियुक्ति की तिथि- दिनांक 29.06.2006
2. वर्तमान कुल वेतन मुब. 1,48,009/मासिक  
कटौती के पश्चात प्राप्त वेतन- मुब. 1,24,825/मासिक
3. क्रय की गयी चल सम्पत्ति का विवरण- लागू नहीं।
4. माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त ऋण- कोई नहीं।
5. बैंक से प्राप्त ऋण- कोई नहीं।
6. क्रय की गयी अचल सम्पत्ति का विवरण कृषि भूमि खाता संख्या 547  
के खसरा संख्या 2668  
स्थित ग्राम काठा जनपद  
बागपत में कुल रकवा  
1.2770हे0 में से 0.2129हे0.
7. विक्रेता का नाम एवं पूर्ण विवरण- 1.श्रीमती सुरेशबाला  
पत्नी श्री महक सिंह  
2.श्रीमती राजेश पत्नी  
इन्द्रपाल  
नि0गण ग्राम मवीकला  
तहसील खेकडा जिला  
बागपत्

21/1/19

उपरोक्त के सम्बंध में माननीय न्यायालय के समक्ष प्रार्थिनी द्वारा यह निवेदन करना है कि प्रार्थिनी वर्तमान में अपर जनपद एवं सत्र न्यायाधीश के रूप में बरेली में नियुक्त है तथा प्रार्थिनी की सेवा में नियुक्ति की तिथि 29.06.2006 है।

(\*)

यह कि दिनांक 26.12.2018 को खाता संख्या 547 के खसरा संख्या 2668 स्थित ग्राम काठा जनपद बागपत में मेरे तथा मेरे पति द्वारा सहखातेदारों से अचल सम्पत्ति का कय किया गया। उक्त कय निम्न अपरिहार्य परिस्थितियों में किया गया:-

अ. यह कि जनपद बागपत् ग्राम काठा में खाता संख्या 547 के खसरा संख्या 2668 पर मेरे पति, श्रीमती उर्मिला, श्रीमती सुरेशवाला, श्रीमती राजेश एवं अन्य सहखातेदारों के साथ पूर्व से सहखातेदार है। उक्त सहखातेदारों द्वारा विक्रय की तिथि से एक-दो दिन पूर्व ही अपना हिस्सा बेचने की प्रस्थापना की गयी। उनमें से एक सहखातेदार जीभ सम्बंधी भयंकर कैंसर से पीड़ित है तथा सभी विक्रेता श्रीमती उर्मिला एवं श्रीमती सुरेशवाला व श्रीमती राजेश एक ही परिवार के सदस्य है। उक्त सभी सहखातेदारों द्वारा अपना हिस्सा एक साथ बेचने का प्रस्ताव किया गया तथा उक्त प्रस्ताव विक्रय की तिथि से मात्र एक-दो दिन पूर्व ही दिया गया है एवं सहखातेदार के कैंसर से पीड़ित होने के कारण विक्रय किया जाना अत्यन्त आवश्यक एवं अविलम्ब करने का प्रस्ताव किया गया।

ब. यह कि चूंकि उक्त भूमि मेरे पति के पौत्रक व्यवसाय, पब्लिक स्कूल तथा ईट की फैक्ट्री के व्यवसाय की भूमि से लाभप्रद स्थिति में होने के कारण परिवार के लिए खरीदनी आवश्यक थी परन्तु विक्रेतागण की अत्यन्त अति-आवश्यकता तथा कम समय होने के कारण परिवार के पास उस समय पर्याप्त धन नहीं था जिस कारण मेरे तथा मेरे पति द्वारा उपरोक्त सहखातेदारों का अंश खरीदने की अति-आवश्यकता हुई।

25/1/19

..4..

उपरोक्त सम्पत्ति को क्रय किये जाने के सम्बंध में सम्पूर्ण प्रतिफल मुब. 26,66,664 /रु० मेरे द्वारा अपने बचत खाते से चैक के माध्यम से विक्रेता को प्रदान किया गया जिनका विवरण निम्नवत् है:-

1. चैक नम्बर- 608060 पी०एन०बी० मुब. 5,50,000 /रुपये
2. चैक नम्बर- 608061 पी०एन०बी० मुब. 5,50,000 /रुपये
3. चैक नम्बर- 494576 एस०बी०आई० मुब. 4,00,000 /रुपये
4. चैक नम्बर- 494577 एस०बी०आई० मुब. 4,00,000 /रुपये
5. चैक नम्बर- 494578 एस०बी०आई० मुब. 3,83,332 /रुपये
6. चैक नम्बर- 494579 एस०बी०आई० मुब. 3,83,332 /रुपये